15.43 hrs.

## DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): Mr. Deputy-Speagtr, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Land Holdings (Ceiling) Act, 1960, be taken into consideration."

As the House is aware, the Government of India has drawn up a set of guidelines on land ceiling on the basis of the recommendations of the Chief Ministers' Conference on ceiling on agricultural holdings. Almost all the States of the country have either amended their existing legislation on land ceiling or enacted a fresh one in the light of these guidelines In order to bring the Delhi Land Holdings (Ceiling) Act, 1960 in accord with the said guidelines, it was considered necessary to reduce the ceiling limit, to withdraw some of the exemptions and to revise the amount payable for the excess lands which are to vest in the Government. In view of the decision of the Government to expeditiously implement the 20-point economic programme, the matter has assumed great urgency and since Parliament was not in session, the President promulgated on 8th December, 1975, the Delhi Land Holdings (Ceiling) Amendment Ordinance, 1975. The present Bill seeks to replace the Ordinance.

The main provisions of the Bill are as follows:—

1. **Level of Ceiling:** As against the existing ceiling of 30 standard acres (24 to 60 ordinary acres) for a family, the proposed level ranges between 5.8 hectares (14.4 acres) and 21.8 hectares (54 acres) depending upon the class of land.

(a) (i) 5.8 hectares, in case of land which is assured of irrigation from a government source of irrigation and is capable of yielding at least 2 crops in a year; or

(ii) 7.25 hectares, in case of land which is assured of irrigation from a private source of irrigation and is capable of yielding at least 2 crops in a year; or

(b) (i) 8.7 hectares, in case of land which is assured of irrigation from a government source of irrigation and is capable of yielding at least one crop in a year; or

(ii) 10.9 hectares, in case of land which is assured of irrigation from a private source of irrigation and is capable of yielding at least one crop in a year; or

(c) 21.8 hectares in case of any other land including an orchard.

15.45 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

In the case of families having more members than five, the ceiling will be raised by 1/5th of the family ceiling for each additional member subject to an overall limit of twice the ceiling limit.

The tenure holder is entitled to retain in addition, an extent of area not exceeding the ceiling limit for each of his major sons.

2. **Exemptions**: Sir, as the House is aware, the existing ceiling legislation in the Union Territory of Delhi exempts from its operation a compact block of land which is used as an archard from before 10th February, 1959, or is being used as a farm in which heavy investment or permanent structural improvements have been made and any specialised farm which is being used for cattle bread-

[Shri Annasaheb P. Shinde]

ing, dairy or wool raising. These exemptions are being withdrawn. The only exemptions that will now be permitted are:—

(a) the areas held on 24-1-1971 by any *goshala* established for a charitable purpose without any motive for profit and registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860;

(b) the areas comprising a stud farm on 24-1-1971;

(c) the areas belonging to any agricultural cooperative land mortgage bank, State or Central Cooperative bank or any other bank.

3. **Disregarding transfers other than bonafide sales:** All transfers other than a bonafide sale under a registered deed for valuable consideration effected on or after the 24th January, 1971 shall be disregarded for computing the excess land. Where any transfer has taken place, the excess land will be selected out of the land left with the transferor and the balance, if any, from the land held by the transferee in proportion to the land transferred to him.

4. **Amount payable for acquisition of excess land:** Under the existing Act the amount payable for acquisition of excess land is 20 times the net income plus market value for any structures or buildings including wells, tubewells etc. After the proposed amendment the amount for the excess land will be payable on a graduated slab basis ranging between Rs. 5000 and Rs. 1000 per hectare plus 50 per cent of the market value of the structures or buildings including wells and tubewells etc., if any, on the excess land.

5. **Distribution of excess land:** The excess land vested in the Government (other than land reserved for the village community or for any work of public utility) will be allotted to the prescribed category of persons, preferably to landless agricultural workers, particularly those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

These are the broad features of the Bill and this House had occasion in the past to discuss the broad principles and also the national guidelines issued by the various State Governments. I therefore do not want to take up more time of the Hon'ble House. I hope all sides of the Hon'ble House will support this Bill, the principles of which had been well supported by all sections of the House in the past.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Delhi Land Holdings (Ceiling) Act, 1960, be taken into consideration."

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the Delhi land Holdings (Ceiling) Amendment Bill, 1976. My party, the CPI(M) have always supported all measures towards effecting land reforms in the country. We have been struggling and agitating in this House and outside for proper land reform whereby the landless labourers and other weaker sections may get ownership of land. Unfortunately, in many States where the Congress Government have tried to effect land reforms the landlords have been able to escape through *benami* transfers of their land. Thus the real objective of such reforms have been thwarted. Even in places where surplus land has been taken over

*The original speech was delivered in Bengali.

by the Government that land has not been properly distributed among the deserving people. The Bill presently under discussion is confined to the Union Territory of Delhi. It is seen that the ceiling of 30 standard acres in the principal Act is sought to be changed into various ceilings of different types of land. 7.25 hectares have been fixed in case of land which is assured of irrigation from a private source and can yield two crops in a year, 5.8 hectares have been fixed for the land having assured irrigation facilities from a Government source and is capable of yielding two crops in a year, and 21 8 hectares have been fixed in the case of any other land including an orchard. Sir, Delhi is the capital of our country For effective implementation of the 20-point programme we should have a ceiling on urban property here which will be more relevant Delhi is mostly urbanised and therefore a ceiling on urban property is more important here. There are many moneyed people owning 7 or 8 houses and many building plots. Unless a ceiling is fixed for urban property the objective behind this Bill is likely to be defeated The Government should come forward at the earliest with a Bill for putting a ceiling on property in Delhi. The rich landlords who knew that this Bill was coming for enactment have already transferred major portion of their excess land to *benami* transactions. All such transactions must be unearthed so that this legislation may be meaningful.

Sir, I suggest that in Section 3 the ceiling in case of the land having assured irrigation facilities should be reduced to 4 hectares and in the case of orchard and other types of land the maximum limit should be 8 hectares. The Government has stated that after the present enactment is made 690 hectares of land would be available as surplus land. If my suggestion is accepted by the Government then the quantum of surplus land would be much higher than estimated. In the Bill payment of compensation has been provided for the excess land taken over by the Government Here I will suggest that in the case of absentee landlord and those having other sources of income, no compensation should be paid for the surplus land Moreover the surplus land available, should be distributed to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the landless labourers and other backward and weaker sections The distribution of the land should be entrusted to an elected committee who should act impartially and without prejudice to the weaker sections In many places we have seen that even after land reforms were effected the landlords and the richer classes continued to have effective control of their excess land as they had a firm hold and influence on the Government authorities and the village communities They manipulated their holdings through *benami* trancfers in the name of their living and dead relatives as well as in the names of their servants, etc. Thus the very objective of the land reform were nullified. The landless labourers and the backward classes failed to gain the cherished ownership of land.

In the end I will say that the holders of black money who were in possession of vast surplus land have already transferred their holdings to escape the ceiling Act. They have also invested heavily in urban buildings, etc. It is therefore very necessary to fix a ceiling to urban property if their activities are to be curbed. The Government should bring a Bill to put a ceiling to urban property at the earliest so that the real objectives may be fulfilled.

16 hrs.

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : यह जो विधेयक भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में यहां रक्खा गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। यह बात सही है कि दिल्ली में अब शहरी

[श्री शशि भूषण]

सम्पत्ति के नियंत्रण के सिलसिले में सरकार एक विधेयक लाने वाली है। दिल्ली में काफी उद्योगपति हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जमीनें अपने अधिकार में ले रखी हैं और उन में बाग लगा रखे हैं, फार्म हाउसिस बना रखे हैं इन जमीनों के दाम धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। आज से दस साल बाद दिल्ली की आबादी तकरीबन पंद्रह लाख और बढ़ जाएगी। इन्ही बागों को तब वे बड़ी कीमत में सरकार को बेचेंगे। पहले जब जमीनों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगा था उस वक्त ये अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कनवर्ट करने के लिए उसका प्रयोग करते थे। लेकिन आज वे समझते हैं कि इधर इनवैस्टमेंट नहीं करते हैं, वह चीज आज नहीं है। आज वे इस दृष्टि से कुछ अर्से के बाद इनकी कीमतें बहुत हो जाएगी। जिस आदमी के पास अपना रोजगार है, इंडस्ट्री है या कहीं सरकार में वह काम करता है, या कोई दूसरा साधन है, मैं समझता हूं कि उनको इस प्रकार का बाग और फार्म रखने का हक नहीं होना चाहिए और इस तरह की जमीनों को सरकार को ले लेना चाहिए।

आज आप हरिजनों, लैंडलेस लेबर के नाम पर तथा उनको जमीनें देने के लिए इन जमीनों को ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिन के पास बहुत कुछ है उन से भी आपको ले लेनी चाहिए न कि छोटे छोटे किसानों से ही जिन के पास एक या दो एकड़ या कुछ ज्यादा या कम है, उनको ही ले कर आप इनको दें। इससे आपका काम नहीं चलेगा।

दिल्ली के भावी विकास को देखते हुए मैं समझता हूं कि काफी जमीन ऐसी है जो सरकार के हाथ में है। जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है। सैकड़ों हैक्टर जमीन उस में है। वह शहर के बीच में है। इसको आप कहीं दूर एक किनारे पर ले जाएं और उस जमीन की आपको करोड़ों रुपया कीमत मिल सकती है, जो लोगों को बसाने के काम में आ सकती है। शहर के बीच में ही यह बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। इसी तरह आपने देखा होगा कि दुनिया भर में जो कंटोनमेंट्स होते हैं वे शहर के किनारे पर होते हैं, शहर की रक्षा के लिए होते हैं। लेकिन यहां इत्तिफाक की बात है कि कंटोनमेंट शहर के बीच में है। इसके आसपास शहर है। सुरक्षा तथा दूसरी दृष्टियों से वह जमीन भी सरकार ले सकती है और वहां आवास की व्यवस्था कर सकती है और उसको अगर बेचना चाहे तो करोड़ों रुपया उसको इसको बेच कर मिल सकता है। जब दिल्ली का विकास होना है तो मैं समझता हूं कि आज हरिजनों को जमीन दे दें और पांच साल के बाद फिर उन से वापिस लेनी पड़े इससे अच्छा यह है कि हरिजनों को, लैंडलेस लेबर को आप छोटे छोटे कारखाने लगा दें, उनके लिए दूसरी व्यवस्था कर दें। दिल्ली की जो आर्थिक व्यवस्था है वह दूसरे बड़े राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार से भिन्न है। उन से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। दिल्ली के पास वैसे ही जमीन कम है। इस बिल का स्वागत करते हुए मैं चाहता हूं कि जब शहरी सम्पत्ति पर नियंत्रण हो रहा है, जब कनटोनमेंट बाहर ले जाना हो, नया एयरोड्रोम बनाना हो, पूसा इंस्टीट्यूट को बाहर ले जाना हो और इस सब को आपने किया तो करोड़ों रुपया आपको इससे मिल सकता है जिससे आप गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने की ओर बढ़ सकते हैं। दिल्ली की पूरी जमीन को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। किसानों को पूरा कम्पनसेशन देना चाहिए। किसानों के जो नौजवान बच्चे हैं उनको आपको किसी और काम में लगाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दिल्ली के आसपास बहुत थोड़ी सी जमीन है, बहुत कम जमीन कल रहने वाली है। यह विधेयक बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ले कर बीस सूत्री कार्यक्रम को देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी का जो प्रोग्राम है उसको देखते

हुए मैं इस बिल को उस दिशा में एक सही कदम समझता हूं और इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ दिल्ली के भावी विकास से सम्बन्धित जो चीजें हैं उनको देखते हुए अगर और कम्प्रिहैंसिव बिल आप लाते तो बहुत अच्छा होता।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि शहरी सम्पत्ति के नियंत्रण वाला बिल जब आप लाएं तो उस में इन सब चीजों का ध्यान रखें।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझ से सहमत होंगे कि पिछले 27–28 सालों में जिस विषय में कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी हुई है। वह है क्रांतिकारी भूमि सुधार का विषय। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दस वर्ष के अन्दर उस भूमि सुधार का काम पूरे देश में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से 27–28 वर्ष के बाद भी यह काम हुआ नहीं है। और यह सिलसिला आज भी कच्छप गति से जारी है। हमारा पड़ोसी चीन है जिस के इतिहास का मैं थोड़ा बहुत जानता हूं वहां अधिक से अधिक पांच सात साल में इस काम को पूरा कर लिया गया था जबकि उसका क्षेत्र और देश दोनों हम से बड़ा है और बहुत सी चीजें उसकी हमारे देश से मिलती जुलती भी हैं। तथा वहां सत्ता परिवर्तन हम से दो वर्ष बाद 1949 में हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पांच तरह के लोग रहे हैं और आज भी हैं जिन के पास बहुत ज्यादा जमीन है, जो जमीन चोर हैं। कुछ बड़े पूंजीपति, कुछ पुराने राजे महाराजे, कुछ बड़े सामन्त लोग, कुछ बड़े हाकिम चाहे मिलिटरी के हों या पुलिस के हों या प्रशासकीय सेवाओं में हों और कुछ बड़े राजनीतिक नेता। ये लोग कमोबेश सारे देश में बिखरे हुए हैं। उन्होंने अपनी सत्ता का, अपने पद का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके सभी प्रदेशों में हदबंदी कानूनों को बाईपास करके जमीनें अपने पास चुरा रखी हैं कहीं कोआपरेटिव फार्म्ज के नाम पर, कहीं मैकेनाइज्ड फार्म्ज के नाम पर। जितने कानूनों में छिद्र उनको दिखाई पड़े या जो छिद्र रखे हुए थे उन सभी का उन्होंने इस्तेमाल किया और जमीन चुरा कर बचा कर अपने पास रख ली। अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और आपको तो सब बातों की मुझसे कम नहीं ज्यादा ही जानकारी है। गरीबी अगर कम करनी था, दूर नहीं, कम करनी है तो उसका सब से आसान नुस्खा यह था कि जमीन के बटवारे की व्यवस्था कर दी जाती। एक आदमी जो बेजमीन है उसे अगर पांच एकड़ जमीन मिल जाए, और उसके वास्ते कुछ साधन मिल जाए तो एक फसल के बाद वह अपनी रोटी दाल का ठिकाना खुद कर सकता है चाहे वह हरिजन हो, आदिवासी हो या गिरिजन हो या दूसरे प्रकार का भूमिहीन हो। लेकिन इसका आज तक किया नहीं जा सका।

अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद एक बार फिर एक लहर आई है इस काम को करने की। लेकिन सन्देह ही होता है कि यह काम हो सकेगा। ऐसी लहरें पहले भी आई हैं। एक अविश्वास वादाखिलाफियों के कारण पैदा हो गया है। आवडी में जब समाजवाद की बात की गई तब यही कहा गया, नरोरा टाइप प्रोग्राम बना तब भी यही कहा गया। समय-समय पर नारे दिए गए हैं इसके सम्बन्ध में। कहीं ऐसा न हो कि इस नारे की भी वही गति हो। इसका सन्देह मुझे ही नहीं आम जनता को भी है। मैं इस वास्ते चाहता हूं कि सरकार पूरी तन्मयता और ईमानदारी और सिंसैरिटी के साथ इस काम को करे। तभी एक स्थायी नया विश्वास पैदा होगा।

[श्री झारखंडे राय]

"इस बिल की मूल भावना का कौन विरोध करेगा ? इसका मैं समर्थन करता हूं । इस में हदबन्दी की जो सीमा है उसको घटाया गया है, यह प्रशंसनीय है । लेकिन जो आखिरी मुद्दा है 21 ·8 हैक्टर वाला इस में मंत्री महोदय ने या सरकार ने छिद्र छोड दिया है । इसी रास्ते से हो कर चोर भागेंगे, साफ निकल जाएंगे, जमीन ले कर चले जायेंगे और सरकार की जो कामना है, उसकी जो घोषणा है । छः सौ हैक्टर पाने की वह पूरी नहीं होगी । इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का मुझे अनुभव है । मैं वहां सौलह साल तक असेम्बली में रहा । मुझे अच्छ तरह से मालूम है कि सरकार ने पहले जब सीलिंग एक्ट पास करवाया तो जितनी उसने कहा कि उसको भूमि मिलेगी उसका दसवां हिस्सा भी भूमि उसको नही मिली । दूसरी बार जब सीलिंग एक्ट आया तब भी घोषणा का पांचवां हिस्सा तक आपको नहीं मिल सका । लोगो ने बच निकलने के रास्ते निकाल लिए । इस मे भी आपने 21 ·8 वाला जो मुद्दा है और जिस मे आपने कहा है अदर लैंड इनक्लयूडिंग ग्रावंडज इस मे काफी जमीन निकल आएगी और छ सौ हैक्टर भी सरकार को नहीं मिलेगी ।

इस तरह पीस मील ढंग से, टुकडों में कानून लाने से यह शक पैदा होता है कि शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी की जो बात बरसों से कांग्रेस शासन और कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही जा रही है—जब से मैं इस सदन में आया हूं, यह चर्चा होती रही है कि अगले सत्र मे इस आशय का बिल लाया जायेगा, लेकिन वह अभी तक नहीं लाया जा सका है, कारण जो कुछ भी रहे हों—, कहीं उस को बाई-पास करने के लिए तो इस तरह से कानून नहीं लाये जाते हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण करे ।

यहां और एक यह शिकायत की जाती है कि जिन भूमिहीनों को जमीन दी जाती है, चाहे ही वे किसी भी प्रकार के भूमिहीन हों—आदिवासी हों, गिरिजन हों या हरिजन हों, उन के हाथ से वह जमीन निकल जाती है । मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं । उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में, नेपाल की सरहद पर नैनीताल से ले कर देवरिया तक, बहुत से लोगों को जमीन दी गई । इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि वे लोग अपनी जमीनें बेच बेच कर भाग गये । अगर भूमिहीनो को यह जमीन बेचने का अधिकार रहेगा, तो वे बडी आसानी से जमीन बेच सकते है, और बड़े पैसे वाले उस को खरीद सकते है । इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि वे लोग जमीन न बेचने पायें और उन के हाथ से जमीन न जाने पाये, वर्ना हम तो यह सोच कर सतोष करेंगे कि इतने लोगों को जमीन बांटी गई है, लेकिन उन के पास वह जमीन न रहे और बडे पैसे वाले उस को खरीद ले ।

जमीन के बटवारे के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक सर्वदलीय समिति बननी चाहिए । ऐसे तमाम दलों की एक कमेटी बननी चाहिए, जो मान्यता-प्राप्त हैं, और जिन का भूमि-सुधार मे विश्वास है । जिन दलों का भूमि-सुधार के सिद्धांत में विश्वास न हो, उन को मैं अपवादस्वरूप इस समिति में शामिल नहीं करना चाहता हूं । लेकिन जिन दलो ने भूमि-सुधार के सिद्धांत मे विश्वास कर के इस के लिए अपने अपने दायरे में और अपने अपने तरीके से, संघर्ष किया है, उन की एक कमेटी बननी चाहिए और सरकारी अफसर तथा कर्मचारी उस कमेटी की देख-रेख में जमीन का बंटवारा करें । इस से भ्रष्टाचार और गड़बड़ी कम होगी और पात्र व्यक्तियों को जमीन मिलेगी ।

सरकार की ओर से कहा गया है कि इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए

कोई ब्याज-भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को जमीन दी जाएगी, उन से रुपया वसूल किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पंद्रह लाख रुपये की रकम बताई गई है। यह बहुत ओछी बात है कि जिन को सरकार जमीन दे रही है, उन से पैसा लिया जाये और मुआवजे की शक्ल मे जमीन के मालिकों को दिया जाये। मैं इस सिद्धात का हामी हूं कि मुआवजा नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर देना है, तो सरकार अपने पास से दे। जिन गरीबों और हरिजनों की सदियों से यह आकांक्षा रही है कि ऐसा दिन आये, जब कि वे एक टुकड़ा जमीन के मालिक हो, उन से पैसा लेना उचित नहीं लगता है। इस लिए इस प्रावधान को निकाल देना चाहिए।

अगर सरकार मुआवजा देना ही तय करे, और हमारे इस सुझाव को न माने, तो उस मुआवजे का रेट नामिनल ,नाम मात्र का, होना चाहिए, ताकि सविधान की धाराओ का उल्लघन न हो। इस बिल मे जो रेट दिये गये हैं, वे बहुत ज्यादा हैं।

इन शब्दो के साथ मैं इस बिल की मूल भावना का समर्थन करता हू। मैं चाहता हू जिन मुख्य बातो की ओर मैं ने सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, सरकार उन पर विचार करे। जो मुख्य काम अब तक हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक नही हो पाया है, 20-सूत्री कार्यक्रम की हवा मे उन को दृढ़ता से लागू कर देना चाहिए, ताकि जनता को फिर यह शिकायत न हो कि सरकार वायदे तो करती है, घोषणाये तो करती है, मगर उन पर अमल नही करती है।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मत्री महोदय ने बताया है, दिल्ली कृषि भूमि (सीलिंग) कानून देश भर मे कृषि भूमि के सम्बन्ध मे सीलिंग लागू करने का एक अग है। सिद्धांततः मे हम सब इस का स्वागत करते हैं। विभिन्न प्रदेश सरकारों ने इस बारे में कानून बना दिये हैं और उस के फलस्वरूप सीमा से अधिक बहुत सी जमीन लोगों मे बांटने का सिलसिला शुरु हो रहा है। दिल्ली मे भी इस कानून को लागू किया जा रहा है। दिल्ली के माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि दिल्ली की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की है, लेकिन दिल्ली की स्थिति विशेष प्रकार की होने के कारण यहा कृषि भूमि की सीलिंग का कानून लागू न किया जाये, यह उचित नही लगता है।

16 16 hrs.

[Shri C M Stephen *in the Chair*]

क्लाज 4 मे बताया गया है कि एक परिवार के पास अलग अलग केटेगरी की कितनी जमीन रह सकती है जो जमीन सरकारी साधनो से सिंचित हो और जो दो फसलें पैदा कर सकती हो, उस की सीमा 5.8 हैक्टर रखी गई है। जिस जमीन से निजी साधनों से सिंचाई की व्यवस्था हो और जो दो फस्लें दे सकती हो, उस की सीमा 7.25 हैक्टर रखी गई है। इसी प्रकार एक फसल पैदा करने वाली निजी साधनों से सिंचित और सरकारी साधनो से सिंचित जमीन के लिए क्रमश 10 9 हैक्टर और 8 7 हैक्टर की सीमा निश्चित की गई है। अन्य प्रकार की जमीन के लिए 21.8 हैक्टर की सीमा रखी है।

इस बारे मे सरकार ने जो फार्मूला तय किया है उस मे निजी साधनो से सिंचित जमीन और सरकारी साधनो से सिंचित जमीन का रेशो कायम करते हुए न्याय नही किया गया है। नहर या ट्यूबवैल आदि सिंचाई के जो साधन सरकार देती है, उन के लिए किसान को बहुत कम खर्च करना पड़ता है। उस मे और स्वय अपने साधना से सिंचाई करने मे बहुत बडा फर्क होता है। इस बारे मे सिद्धात यह होना चाहिए था कि वाटर की इनटैन्सिटी क्या है—किसी पर्टिकुलर लैंड

[श्री शिवनाथ सिंह]

में नहर या ट्यूबवैल द्वारा उपलब्ध पानी की कितनी इनटेन्सिटी है, 60 परसेंट है या 70 या 80 परसेंट है। अगर उस के हिसाब से इस का हैक्टरेज निश्चित किया जाता है तो वह एक रीजनेबल कैलकुलेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया हैं। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय ऐसा क्यों नहीं कर पाये हैं, लेकिन ईरिगेटिड लैंड का हैक्टरेज हमेशा वाटर की इनटेन्सिटी के अनुसार तय होना चाहिए।

नये रखे जाने वाले सेक्शन 3 के सब-सेक्शन 1(सी) में "ऐनी अदर लैंड, इनक्लूडिंग एन आर्चर्ड" के लिए 21.8 हैक्टर की सीमा रखी गई है। दिल्ली के आस-पास बड़े-बड़े पैसे वालों ने इनकम टैक्स से बचने के लिए अपने बागीचे कायम किये हैं। उन के पास लम्बी-चौड़ी जमीन है। वे बागीचे बिना सिंचाई के कायम नहीं हो सकते हैं। सरकार उन लोगों को तो 21 हैक्टर दे रही है, जब कि जो किसान अपने खेत में गेहूं, चावल, शूगरकेन या आलू पैदा करता है, उस के लिए सरकार ने 5, 7 या 10 एकड़ हैक्टर की सीमा रखी है। सरकार ने आर्चर्ड को इतनी छूट क्यों दी है? यह कहा जाता है कि उन लोगों ने उन आर्चर्डस में बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वे लोग उन आर्चर्डज से कई गुना फायदा भी उठा चुके हैं। इस के बावजूद सरकार उन को इतनी ज्यादा छूट दे, इस के प्रति मेरा सख्त विरोध है। इस के अतिरिक्त उन लोगों ने अपने श्रम से काम नहीं किया है। इस लिए उन को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। उन के लिए मिनिमम लैंड छोड़नी चाहिए।

इस बिल में एक्सेस लैंड को लेने का जो प्रावधान किया गया है, उन में कहा गया है कि अगर लैंडहोल्डर या जमीन के मालिक ने किसी दूसरे आदमी को जमीन ट्रांसफर कर दी हो, तो सीलिंग का जितना एरिया होगा उन से अधिक ले लिया जायेगा। यह बहुत सही बात है। लेकिन एसे भी केसिज हो सकते हैं कि जमीन किसी लैंडलेस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई हो। सीलिंग कानून का सिद्धांत यह है कि लैंडलैस लोगों को जमीन दी जाये। अगर किसी व्यक्ति ने किसी लैंडलेस को जमीन ट्रांसफर कर दी हो, तो इन कानून के मुताबिक वह जमीन चाहे जितनी भी हो, चाहे वह सीलिंग एरिया से कम हो, उस को वापस ले लिया जायेगा, हालांकि उस जमीन को फिर उन्हीं लैंडलैस लोगों को डिस्ट्रिब्यूट किया जाना है। अगर किसी बड़े काश्तकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स शिडयूल्ड ट्राइब्ज या मार्जिनल फार्मर्ज आदि वर्गों के किसी व्यक्ति को लैंड ट्रांसफर कर दी हो, जिन को जमीन देने के लिए सरकार यह सीलिंग कानून बना रही है, तो वह जमीन उस से वापस नहीं लेनी चाहिए, और सीलिंग लिमिट की जमीन उस के पास रहने देनी चाहिए।

क्योंकि आप उन से जमीन लेंगे, जागीरदार को मुआवजा देंगे, उन लोगों से फिर मुआवजे की रकम ले कर दोबारा उनको एलाट करेंगे। इसलिए जहां भी इस तरह के सीलिंग लाज बने हैं, उन में इस बात का ख्याल रखा गया है कि इस कटेगरी के लोगों से जिन के पास जमीन ट्रांसफर हुई है। जो सीलिंग लिमिट से अधिक नहीं है और जो एलाटमेंट के एलिजिबल हैं, उन से सह जमीन वापस न ली जाए।

जहां तक मुआवजे की रकम का प्रश्न है माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि मुआवजा ज्यादा है, कम करना चाहिए। मेरे ख्याल से दिल्ली के आस पास की जमीन का जिन लोगों को ज्ञान है वह यह कह सकते हैं कि काश्तकार को 5 हजार रुपये हैक्टर का मुआवजा जो रखा है वह अधिक नहीं है।

यह सरकार ने रखा है जिस आधार पर रखा है, मैं नहीं जानता लेकिन इस को अधिक नहीं कहा जा सकता । इस का मैं समर्थन करता हूं ।

इस अवसर का फायदा उठा कर मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जमीन के ऊपर सीलिंग कायम हो चुकी है और देश के अन्दर मार्जिनल फार्मर या खेतिहर मजदूर जितने हैं उन सब ने इस कानून का स्वागत और समर्थन किया है । एक या दो आदमी जिनके पास हजारों बीघे जमीन रही होगी उनको इसका खटका हो सकता है लेकिन आम तौर पर सारे किसानों ने इस का समर्थन किया है । फिर यह सीलिंग कानून लागू होने के बाद उस जमीन में इम्प्रूवमेंट के लिए दूसरा प्रावधान करने जा रहे हैं, रूरल बैंक्स बनाने जा रहे हैं, उस का भी उन को फायदा होने जा रहा है । लेकिन आज देश के अन्दर खेती करने वालों के दिल में एक खटका है कि शहरों में जो इतनी बड़ी-बड़ी सम्पत्ति है, मकान है, जमीन है, बड़े बड़े प्लाट्स हैं, उन पर सीलिंग कब कायम करेंगे ? मैं निवेदन करूंगा कि इस के लिए भी सरकार कदम उठाए और वास्तविक सीलिंग इन पर भी कायम हो । एक काश्तकार के पास अगर सौ एकड़ भी जमीन थी तो उस सौ एकड़ की कुल कीमत का बम्बई या कलकत्ते में एक छोटा सा प्लाट हो सकता है । इसलिए शहरी सम्पत्ति पर जब तक सीलिंग कायम नहीं करेंगे तब तक हमारा समाजवाद का सपना साकार नहीं होगा ।

दूसरी बात—देश के अन्य प्रदेशों में भी सीलिंग में जमीन ली गई है और वह प्लाट हुई है । लेकिन एलाटिंग एथारिटी इस तरह की थी कि वह गरीबों के लिए सिम्पेथेटिकली नहीं थी । नतीजा यह है कि उन लोगों को कागज पर जमीन दे दी गई है, वास्तविक कब्जा उन को नहीं मिला है । इस लिए जो जमीन लें उस का एलाटमेंट हो तो वह वाजिब आदमियों को हो और उस जमीन का कब्जा उन को मिल जाय तो यह कदम सार्थक होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Sir, I am thankful to the hon. Members for generally supporting the provisions of the Bill. The general principles on which this Bill is based if I may say so, have been accepted by all State Governments. In Delhi also it should have come earlier but due to local difficulties they could not process and when the Parliament was not in Session this Ordinance had to be issued.

Mr. Halder, has raised a few points. One of the points he has raised is about ceiling on urban land. Many other hon. Members have also raised this point. As far as this aspect is concerned although it is not relevant to this Bill yet the Government's intention has been made known, namely, that the Government proposes to move a legislation to this effect in the current Session.

The other point which Mr. Halder has raised is about benami transactions' which have been made in Delhi. Sir, if the hon. Member is good enough to go into the provisions of the Bill he will find this Bill has given retrospective effect to the transfers and any transfer made after January 1971 which is in contravention of this provision will naturally be invalid

Another point which has been raised is regarding the categories. He has made the point that as far as irrigated land category is concerned it should be 4 hectares. Sir, in the guidelines which were issued to various State Governments we indicated three to four categories and as far as the double crop land is concerned we left it entirely to the discretion of the State Government as to what

[Shri Annasaheb P. Shinde]

should be the maximum limit. It was expected that it would be anything between 10 and 18. For one crop land it was 27; if it was dry land it was 54 acres. The Delhi Administration has broadly approved this draft and in their discretion they have put categories which are well within the limits of national guidelines. I do not therefore think that it is a very valid point.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: What I said was that it was only for the Delhi Union Territory, not for the other States.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: In the Delhi Union Territory, the limit is not one to which you could take any valid objection; the limit is not so high as to call for any objection.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Is it low?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: It is slightly lower than in many of the States, the classification of land. The Delhi Administration has set a lower limit, not a higher limit. I do not think there is any valid point.

Several hon Members made a point about the orchard. A lot of thought was given to this particular aspect by the Chief Ministers who were consulted in this matter before the national guidelines were drawn. Orchards are mostly in compact areas and breaking them up would create a number of problems for the management of orchards, and not even one per cent of the country's land is under orchards and I do not think that basically this comes in the way of implementation of land ceiling Act.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Stud farms were exempted.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: This was also discussed when national guidelines were drawn up. There are some places where horse-breeding is taking place. Otherwise we have to depend upon import of horses. This is again a very small category and highly specialised and this does not come in the way of whatever excess land is available in the country.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur): It is not a question of number; it is a question of principle. Because they belong to Maharajas? Moneyed people?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I do not think we should really bring in the names of individuals. We consulted the Chief Ministers at that time and there was broad agreement on this and therefore there were some exemptions Hon. Members can have honest and different views on them and I do not want to raise a dispute on this.

Another point that was made was about compensation. Shivanath Singhji rightly mentioned that anybody who knows the level of prices of land round about Delhi will not consider Rs. 5000 per hectare, Rs. 2,000 per acre to be on the high side. Round about Delhi the price of one acre of land is anything between Rs. 5000 and Rs. 10,000. Closer to Delhi it is much higher. Therefore the compensation of Rs 2,000 per acre, and for dry land it is about Rs. 400, I do not think, is on the high side. The provisions which have been made by the various state governments are in fact. Slightly on the higher side as compared to what this Bill provides.

Shri Jharkhande Rai raised the point that the implementation of land reforms had been slow. I am inclined to agree with him. I do not think that we can straightaway rush to compare China with India. After all dictatorial regimes had some advantages in this respect. We were trying to implement land ceiling laws

through democratic processes by putting laws before Parliament.... ... (*Interruptions*).

The hon. Member are aware that land is a State subject under our Constitution. A whole lot of legislation has been enacted during the last 25 years. If I may say so, has been mentioned on the floor of the House in the past, if there is any country in the world in which land reforms have been enacted through democratic process, I think, India can be legitimately proud of it. But do not rush up to conclusions. If you look to the situation in 1965-66 2/3 of the landscape was dominated by Rajahs, Maharajahs, Zamindars and land-lords. Now, in this country, there have been people who have taken advantage of it by misusing certain positions, perhaps in certain areas. But by and large I think there is so much of seriousness about land reforms in the country. Now, as far as the implementation of the land reform is concerned, Shri Jharkhande Rai himself has said that in U P there was never such an atmosphere as there is now for implementation of land reforms. It is not only found in U.P. but all over the country. Therefore, if any conclusion is to be drawn, if any democratic system is to be followed then despite many limitations, the subject being under State subject and all that, a general awareness has to be created, and the general pressure that has been developed as a result of popular movement has to be sustained. I think there is seriousness about implementation of these laws now to possess land in India, between 10 to 54 acres, I do not think it is really a matter to which objection can be raised. In fact, when the general recommendations were made by the Agriculture Commission of which one of leading Members of this House was the Chairman and Shri Z. A. Ahmed was one of the members. He belongs to the party of Shri Jharkhande Rai. Those recommendations were broadly similar or just on par with the national guidelines. Therefore, I think, what has been done has been done in the very right direction. These land laws should be implemented by all the State Governments and I hope during the next few days necessary effective steps will be taken. Already processes are on. In a number of States surplus lands are being acquired and the lands are getting distributed to the weaker sections of the society, as has been mentioned in the general guidelines.

Then another important point which has been mentioned by Shri Jharkhande Rai is that some people are taking protection for owning lands under the category of mechanised farms, co-operative farms, etc. Now, if Shri Jharkhande Rai closely looks into the guidelines he will find that if somebody owns land in the co-operative society, he is not exempted because his holding in the cooperative society will be taken into consideration to determine the individual holding. Therefore, if anybody is owning lands through the Co-operative society now, he will not be exempted. He is not going to get protection. That protection was there under the old law. All these exemptions for mechanised farms and co-operative farms were there under the old law. Now, under the new guidelines, these exemptions are not at all allowed. The fear expressed by the hon. Member was true under the old law but it is not true under the new laws, under the current piece of legislation which is being discussed on the floor of the House. Therefore, nobody will be in a position now to take protection under mechanised farm or co-operative farm or under the compact farm.

Shri Shiv Nath Singh has made another point regarding exemption for orchard He had raised a point whether orchard was desirable round about Delhi. As I said, when we had

[Shri Annasaheb P. Shinde]

examined this point in depth, we found that there was very limited area under orchards and these orchards have special management. They would have caused a lot of harm to horticulture, if we would decide them to break etc. This matter was examined. The land under orchards was very limited except in U.P. and in a few other States. Therefore, in their wisdom, the Chief Ministers and other experts whom we consulted unanimously recommended that this will cause incalculable harm to horticulture in this country. So, it has been provided that the orchards will be treated as dry land, but nobody will be in a position to own more than 54 acres.

SHRI SHIVNATH SINGH: Orchards require irrigation How can you treat them as dry land?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE I do not say they are unirrigated. But for calculation purposes, they will be treated as dry land.

SHRI NATHU RAM MIRDHA (Nagaur): This country is the lowest in the production of horticultural products. If we go on decreasing the area, it will further go down. So, this is necessary in the interests of the nation.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: In spite of the able support given to the minister by Shri Mirdha, we are not convinced.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE. This is not peculiar to Delhi These are the broad principles accepted by all the State Governments.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: But Punjab has not exempted stud farms.

SHRI ANNASAHEB P SHINDE: We have left it to the discretion of the State Governments. This Bill has come here only because the Delhi Administration has no power to enact this. Otherwise the Delhi Administration itself would have done it.

Sir, I am glad that all sides of the House have given broad support to the important provisions of this Bill. There can be different views about small issues and we should not make much of it. I am thankful to the House of the generous support it has given. I assure the House that the Delhi Administration will do its level best to implement this law in all sincerity.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: In Andhra Pradesh, orchards are not exampted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Land Holdings (Ceiling) Act, 1960, be taken into considration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: We shall take up clause-by-clause consideration.

Clause 2.

Clause 2—(*Amendment of section 1*)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

page 1, *after* line 20, *insert*—

"Provided that public purpose shall not include the Housing Co-operative Societies formed by moneyed men Housing for earning huge amounts from rents of their palatial buildings;" (I)

सभापति जी, यह आपने सुना कि मोटे तौर पर इस विधेयक का समर्थन सदन के तमाम लोग कर रहे हैं फिर भी इसमें जो कुछ खामी या कमी दिखलाई पड़ गयी है

उनमें से एक कमी की तरफ या खामी की तरफ मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

इस विधेयक की धारा (2) के खण्ड (सी) में लिखा हुआ है :

"Areas acquired under any law relating to the acquisition of land for a public purpose."

पब्लिक परपज इतना व्यापक शब्द है या व्यापक अर्थवाला शब्द है कि इसी में अन्धेर खाता चलता है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि जनहित का नाम लेकर जो सही बात है वह तो जरूर करें, लेकिन जो गलत बात है उस को न कीजिये । आप ने जमीन तो ले ली—पब्लिक परपज के नाम पर, लेकिन बाद में देखने में आता है कि वह जमीन बड़े-बड़े धनी लोगों को कालोनी बनाने के नाम पर दे दी जाती है, वे लोग उस को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं और ब्लैक मनी से वह कालोनी खड़ी हो जाती है । अगर उस पर एतराज किया जाता है तो कह दिया जाता है कि यह पब्लिक परपज में है, ये लोग भी इस देश के निवासी हैं, इन को भी कहीं न कहीं रहने के लिये जगह चाहिये । इस तरह की बात हमारे पटना शहर में हो रही है, यहां भी ऐसा हो सकता है, इसी लिये मैं आप का ध्यान इस तरफ दिला रहा हूं । हमारे यहां पाटली पुत्र कालोनी बनी है—कैसे बनी ? किसानों से मिट्टी के भाव जमीनें ले ली गईं और बड़े-बड़े धन्ना-सेठों को आप ने सस्ते दामों पर दे दिया। जब आवाज उठी तो कह दिया—पब्लिक परपज है । पब्लिक परपज का नाम लेकर हमारे मुंह बन्द कर दिये गये ।

इसीलिये मैं इस क्लाज को थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूं । पब्लिक परपज का मतलब स्पष्ट होना चाहिये, ऐसे लोग उस में फायदा न उठा सकें, इस लिये मैंने यह संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मेरा संशोधन है—

क्लाज 2 के सब-क्लाज सी के बाद प्रावीजो जोड़ा जाय —

"Provided that public purpose shall not include the housing co-operative societies formed by moneyed men for earning huge amounts from rents of their palatial buildings."

सभापति जी, मंत्री महोदय को स्मरण होगा कि उन्हीं के मंत्रालय की तरफ से 1967–68 में एक जस्टिस मुल्ला कमेटी बनी थी —लैंड एक्वीजीशन एक्ट में क्या क्या संशोधन होना चाहिये ताकि मिस-यूज न हो, जमीन का ठीक से इस्तेमाल हो । सरकार को यदि जमीन की जरूरत है—देश के डिफेन्स के लिये, गरीबों को बसाने के लिये, वीकर सेक्शन के लोगों को बसाने के लिये, तो जमीन उन को मिल जाय । सरकारी कारखाना लगाने के लिये जमीन की जरूरत है तो जमीन उन को मिल जाय, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हाउसिंग कोआपरेटिव बनाने के लिये जमीन ले लेते हैं उन को इजाजत नहीं होनी चाहिये । मुल्ला कमेटी तमाम हिन्दुस्तान में घूमी थी, पटना में भी गई थी, वहां हम लोगों ने उस के सामने बयान दिया था, ये तमाम बातें उन के सामने बतलाई गयी थीं और जहां तक मुझे मालूम है उस कमेटी ने कुछ इस तरह के सुझाव भी दिये थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ—कुछ पता नहीं । सरकार अभी भी उस पर पल्थी मार कर, कुण्डली मार कर बैठी हुई है । आप इस तरह के बिल क्यों नहीं लाते जिन में पब्लिक परपज को डिफाइन किया गया हो ।

इसलिये, सभापति महोदय, मेरा संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है—इस को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये ।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I am thankful to the hon. Member for having given this suggestion. But I do not think his amendment has much relevance as far as this Bill is concerned. In fact, he can raise some of the issues when the Urban Land (Ceiling) Bill comes for discussion on the floor of this House. (*Interruptions*) I am coming to it. Why are you in a hurry? So far as Delhi is concerned, it is well known to all, and to the hon. Member himself, that Delhi is expanding very fast. Naturally, some land is being acquired for housing etc. DDA have drawn up broad principles which say that no individual, even if he is a member of a cooperative housing society, will be given more than 400 square yards of land under acquisition. There is no justification for the fear of the hon Member. It is not justified. It is not called for. I would request the hon. Member to withdraw the amendment.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I am not withdrawing it.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment No. 1 to the vote of the House:

*Amendment No. 1 was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted*

*Clause 2 was added to the Bill*

MR. CHAIRMAN: There is no amendment to clause 3. The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

**Clause 4**—(*Substitution of new section for section 3.*)

MR. CHAIRMAN: We have amendment No. 2 to clause 4, by Shri Ramavatar Shastri. Is the hon. Member going to move it?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Yes. This is a separate thing. According to the Minister, it fits in. I beg to move:

Page 3, line 26,—

*for* "21.8" *substitute* "14". (2)

MR. CHAIRMAN: There are amendments Nos. 3, 4 and 5 also, standing in the name of Mr. Dinen Bhattacharya, Mohammad Ismail and Mr. Biren Dutta They are not there. Now Mr. Ramavatar Shastri.

**श्री रामावतार शास्त्री** : सभापति जी, इस में सब-क्लाज़ में जो 21·8 हैक्टेयर्स की व्यवस्था की गई है, मेरा संशोधन है कि उस को कम कर के 14 हैक्टेयर किया जाय। हमारे सूबे में एक हैक्टेयर ढाई एकड़ के बराबर होता है, मै समझता हूं कि यहां भी वैसा ही होगा, इस का अर्थ है कि आप 52–53 एकड़ भूमि लोगों को दे रहे है, जिस मे आर्चर्ड भी शामिल है। जहां तक बाग-बगीचों का सम्बन्ध है, यह मालदारों का भी होता है और गरीबों का भी होता है, ज्यादा आमदनी देने वाला भी होता है और उस मे कुछ भी नही मिलता है। लेकिन आप ने यहां पर कोई आर्ग्यूमेन्ट नही दिया कि आप ने इतना क्यों छोड़ा है। आप ने इस कानून मे पांच किस्म की जमीन का बटवारा किया है, आम तौर से हर राज्य में चार-पांच किस्म की ही जमीनें रखी गई है, सरकारी सिंचाई की गैर सरकारी सिंचाई की, आदि—यह तो मोटी-मोटी ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लाज मे मेरा ख्याल है आप ने ज्यादा रखा है और यह भी नही बताया है कि इतना ज्यादा क्यों रखा है? इसी लिये मैंने सुझाव दिया है कि इस को 14 हैक्टेयर कर देने से लगभग

साढ़े-पैंतीस एकड़ जमीन फिर भी बच जायगी। पांच आदमियों के परिवार के लिये यह कम नहीं है और आज कल पांच आदमियों का परिवार स्टैण्डर्ड परिवार माना जाने लगा है। हर जगह लैंड सीलिंग एक्ट में ऐसी ही व्यवस्था की गई है।

इस में आप ने 'एनी अदर लैंड" भी रखा है, इस से ही सारी गड़बड़ होने का खतरा है। बाग-बगीचा तो ठीक है, लेकिन 'एनी अदर लैंड" रखने में सब मामला गोल हो जाता है। इस के नाम पर अच्छी लैंड भी जा सकती है, वहीं बिल्कुल सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जमीन बहुत अच्छी है, सिंचाई होने पर बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है—वह भी इस में चली जायगी। इस लिये उस की सीमा को ज्यादा मत बढ़ाइये इसको कम ही रखा जाना चाहिये।

"Any other land" नहीं रहता तो यह खतरा नहीं रहता। "Any other land" हमारे राज्य में बहुत है जहां सिंचाई का, न सरकारी और न प्राइवेट कोई इनजाम नहीं है, लेकिन जमीन बहुत अच्छी है। अगर उस जमीन को पानी दे दिया जाय तो कई गुना फसल पैदा कर सकती है। तो "Any other land" में यह भी शामिल होगा मेरे ख्याल में। नहीं तो आप बताइये कि "Any other land" का क्या मतलब है? मुझे शक है कि "any other land" कह कर अच्छी किस्म की जमीन लोगों को दे दी जायगी। इसलिये मेरा कहना है कि 21 8 हैक्टेयर को कम कर के 14 हैक्टेयर कर दिया जाय, इस में कोई सिद्धान्त आड़े नहीं आता। आशा है सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I am sorry, the hon. Member is not in a position to appreciate this limit of 54 acres. This is a category which is totally unirrigated. In our tropical areas, if there is failure of rainfall. this is not a big area. Take the wheat crop sown with the moisture in the soil. Suppose the winter rains fail, a person will not get even one quintal. So far as orchard is concerned, in Delhi there is not even one per cent of land which is orchard. We should take into account the broad principle. I come from a drought-prone area. Our experience is that when relief operations are undertaken during the failure of monsoon, the members of families of even those owning 40 or 50 acres of land take advantage of the relief operations So. all these conditions have to be taken into account This is dry land with no assured irrigation whatsoever. The Delhi administration suggested this I do not think we should object to this. Shastriji is a knowledgable person.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: What do you mean by "any other land"?

SHRI ANNASAHEB P SHINDE: It means unirrigated land. I would make it clear that the land that would fall under this category would be either orchards or unirrigated land. Orchards would not be even one per cent

MR CHAIRMAN: I will now put amendment No. 2 to clause 4 to the vote.

*Amendment No 2 was put and negatived.*

MR CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

*Clauses 5 to 7 were added to the Bill.*

*Clause 8 was added to the Bill.*

*Clauses 9 to 15 were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adoped.*

---

16.56 hrs.

REGIONAL RURAL BANKS BILL

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to move*:

"That the Bill to provide for the incorporation, regulation and winding up of Regional Rural Banks with a view to developing the rural economy by providing, for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas, credit and other facilities, particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs, and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

This Bill is intended to replace the Regional Rural Banks Ordinance, 1975. This Ordinance, as you are aware was promulgated on the 26th September 1975 in the context of the implementation of debt relief measures in the rural areas under the Twenty Point Socio-Economic Programme to enable the Government to set up Regional Rural Banks in the country with a view to developing the rural economy by providing credit and other facilities for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities for the rural areas. These banks will also finance reorganised primary co-operative societies and farmers' service societies with universal membership.

The setting up of these banks in areas with adequate development potential but with inadequate institutional credit arrangemtnts, acquired great urgency and seven Regional Rural Banks have been established so far, the first five banks having been established on 2nd October, 1975.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara). Seven or five?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE. Even today one is being established in Madhya Pradesh, and therefore it will be eight.

Subject to man-power constraints, the target is to establish 50 Regional Rural Banks before 1st April, 1977.

The reasons for issuing the Ordinance have already been explained in the Statement which has been laid on the Table of the House. So, I would not like to repeat them Now at this stage I would not like to dwell upon the philosophy of Rural Bank and credit problems in the rural areas. I would like to confine myself to some of the important provisions of the Bill at this stage.

The important provisions of the Bill are:

(i) Each Regional Bank shall have an authorised capital of Rs. 1 crore and a paid-up capital of Rs. 25 lakhs The share capital of each Regional Rural Bank is to be raised by the Government of India, the State Gov-

---

*Moved with the recommendation of the President.